कार्यालय कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी, आजमगढ़।

संख्याः 3088 /आबकारी/वार्षिक व्यवस्थापन/2020–21/आजमगढ़ दिनांक–09 अक्टूबर, 2020

विज्ञप्ति

जनपद–आजमगढ़ में निरस्त विदेशी मदिरा दुकान चॉदपट्टी का पुर्नव्यवस्थापन ऑन–लाइन www.etender.up.nic.in पर ई–टेण्डर/ऑफर मॉगकर किया जायेगा। ऑनलाइन ई–टेण्डर/ऑफर हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है–

1	Tender publishing date	10-10-2020 at 09.30
2	Document download start date	10-10-2020 at 09.30
3	Document download end date	19-10-2020 at 09.30
4	Pre bid meeting date	12-10-2020 at 16.00 (DEO Office Azamgarh)
5	Bid submission start date	10-10-2020 at 09.30
6	Bid submission closing date	19-10-2020 at 09.30
7	Technical bid opening date	19-10-2020 at 11.00
8	Financial bid opening date	19-10-2020 at 14.00
9	The place of bid opening	Meeting Hall collectrate Building Azamgarh
10	Tender inviting officer	Collector Azamgarh

क0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	दुकान की प्रास्थिति	निर्धारित लाइसेंस फीस	धरोहर धनराशि	हैसियत
1	चॉदपट्टी	विदेशी मदिरा	ग्रामीण	165000	16500	165000

1– मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बीयर की दुकानों एवं माडलशाप हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।

2– सम्पूर्ण निविदा सूचना आलेख के साथ प्रारूप–1 पर आवेदन–पत्र एवं प्रारूप–2 पर शपथ–पत्र दिया जायेगा। वित्तीय निविदा भाग (2) में केवल ऑनलाइन भरनी होगी। मात्र निर्धारित आवेदन–पत्र व शपथ–पत्र पर देय सूचना ही मान्य होगी। निर्धारित प्रारूप से भिन्न टंकित या तैयार किये गये आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप मान्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र व शपथ www.etender.up.nic.in से डॉउनलोड कर भरी जायेंगी।

3– विदेशी मदिरा की दुकान हेतु प्राप्त ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/ऑफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/ऑफर प्राप्त होते है, जब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/ऑफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4– विदेशी मदिरा दुकान के सन्दर्भ में स्वीकृत ई–टेण्डर से प्राप्त लाइसेंस फीस 5000 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा। व्यपगत अवधि के लाइसेंस फीस को घटाकर अवशेष अवधि (न्यूनतम दो त्रैमास) हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार लाइसेंस फीस जमा करायी जायेगी।

5– मदिरा की दुकान हेतु आवंटन के लिए भारतवर्ष के निवासी, जिनकी आयु ऑन–लाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक आयु 21 वर्ष पूर्ण हो, ही आवेदन कर सकेगें।

6– आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।

7– आवेदन को ऑन लाइन ऑफर के साथ निम्न प्रपत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन टैक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी–

1–आवेदन पत्र, 2– सम्बन्धित शपथ पत्र (रू0 10/– के नॉन ज्यूडिसयरी स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित), 3– पैन कार्ड, 4– आधार कार्ड, 5– हैसियत प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (हैसियत प्रमाण पत्र/वैलुअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक–01–01–2019 से पूर्व का निर्गत मान्य नहीं होगा), 6– प्रोसेसिंग शुल्क की धनराशि रू0 20000/– का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ के पक्ष में देय हो, दिनांक 19–10–2020 को प्रातः 09:30 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ में जमा करना अनिवार्य होगा, यदि ऑफरदाता द्वारा निर्धारित प्रोसेसिंग फीस का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कराया जाता है तो उनका टेण्डर/ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। 7– वांछित धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन फाइनेसियल बिड सेक्शन में अपलोड करनी होगी, जिसे आवेदक टैक्निकल बिड में मूलरूप में अपने साथ रखेगा। विदेशी मदिरा की दुकान हेतु उद्धरित लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ के पक्ष में निर्गत हो, ही स्वीकार्य किये जायेगें। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल के फाइनेसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी।

8– किसी आवेदक के पक्ष में प्रदेश में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप) की कुल मिलाकर 2 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी।

9– आवेदक को ऑन लाइन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

10– आवेदक द्वारा गलत तथ्य या Corrupt & Fraud Practice करने पर उसका आवेदन निरस्त होगा। आवेदक ऑनलाइन Bid Submission की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व अपनी बिड को संशोधित व वापस कर सकता है।

11– चयनित आवेदक को विवाद रहित समस्त अभिलेखों के साथ लाइसेंस फीस तीन कार्य दिवस में, धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट चयन के तत्काल बाद जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि तीन कार्य दिवस के अन्दर एवं प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत दस कार्य दिवस व शेष प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत चयन के 20 कार्य दिवस के अन्दर एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा। जो जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो। समयान्तर्गत औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर चयनित आवेदक के जोखिम पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12– आवंटन समिति किसी भी ऑन लाइन ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकार या निरस्त कर सकती है अथवा सम्पूर्ण ऑन लाइन की प्रक्रिया को निरस्त कर सकती है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया, नियमों एवं शर्तो के अधीन इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई–टेण्डर प्रणाली/ऑफर दिये जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, आजमगढ़ से सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनूप शर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।

(राजेश कुमार)
कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी
आजमगढ़।

संख्याः 3089 /आबकारी/व्यवस्थापन/आजमगढ़ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की साईट पर अपलोड कराते हुए मदिरा दुकान की ई–टेण्डर व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(अनूप शर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी
आजमगढ़।